



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii):

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22।

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2000/पौष 22, 1921

No. 22।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2000/PUSA 22, 1921

कृषि मंत्रालय

(पश्चात्यन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2000

का. आ. 34 (आ)---जब कि गुजरात राज्य के विधान गृह ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52) को उस राज्य के लिए रवीकार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 की धारा(1) के अनुसारण में राकल्प पारित किया है;

अब, इस कारण से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52) के खंड-1 के उप खंड(3) द्वारा प्रकृत शवित्रों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा 15 जनवरी, 2000 को वह तारीख नियुक्त करती है जिस तारीख को गुजरात राज्य में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[फा. संख्या 51-12/90-एल डी टी (बी सी)]

पब्लिक रेना, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सा० 0का० सं० 3248 दिनांक 27.6.1985 के तहत हसियाणा, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पांडिचरी, चंडीगढ़, शिजोरग और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में लागू किया गया और इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 252 की धारा (1) के अनुसारण में निम्न राज्यों में उपरचिलिखित अधिनियम को लागू किया गया :

- (क) मध्य प्रदेश और केरल साठका० संख्या 420३ दिनांक 28.11.1986 के अधीन ;
- (ख) यांगोपर और सिक्किम सा०का० संख्या 283 दिनांक 16.1.1987 के अधीन ;
- (ग) उत्तर प्रदेश सा०का० संख्या 3121 दिनांक 10.10.1988 के अधीन ;
- (घ) असम सा०का० संख्या 1680 दिनांक 16.6.1990 के अधीन ;
- (ঙ.) बांगलादेश सा०का० संख्या 2332 दिनांक 14.6.1992 के अधीन ;
- (ঞ) অসম প্রদেশ ও কর্ণাটক সা০কা० সংখ্যা ৮০ দিনাংক 17.12.1993 কে অধীন ;

- (छ) पश्चिम बंगाल और पंजाब सांकेतिक संख्या 1245 दिनांक 4.5.1994 के अधीन ;
- (ज) मेघालय सांकेतिक संख्या 477 दिनांक 2.1.1995 के अधीन ;
- (झ) त्रिपुरा सांकेतिक संख्या 683 (ई) दिनांक 20.7.1995 ; और
- (ट) महाराष्ट्र सांकेतिक संख्या 514 (ई) दिनांक 23.7.1997 के अधीन ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2000

S.O. 34 (E).—Whereas the Legislature of the State of Gujarat has passed a resolution in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution adopting the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) for that State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 2000 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the State of Gujarat.

[F. No. 51-12/90-LDT(VC)]

PAVAN RAINA, Jt. Secy.

Note: — The Indian Veterinary Council Act, 1984 was brought into force in the States of Haryana, Bihar, Orissa, Himachal Pradesh and Rajasthan and the Union Territories of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman & Diu, Pondicherry, Chandigarh, Mizoram and Arunachal Pradesh vide the notification in the Ministry of Agriculture S.O. No. 3248 dated 27.6.1985; and subsequently in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution, the aforesaid Act was made applicable to the States of:—

- (a) Madhya Pradesh and Kerala vide S.O. No. 4268 dated 28.11.1986;
- (b) Manipur and Sikkim vide S.O. No. 283 dated 16.1.1987;
- (c) Uttar Pradesh vide S.O. No. 3121 dated 10.10.1988;
- (d) Assam vide S.O. No. 1680 dated 16.6.1990;
- (e) Nagaland vide S.O. No. 2332 dated 14.8.1992;
- (f) Andhra Pradesh and Karnataka vide S.O. No. 80 dated 17.12.1993;
- (g) West Bengal and Punjab vide S.O. No. 1245 dated 4.5.1994;
- (h) Meghalaya vide S.O. No. 477 dated 2.1.1995;
- (i) Tripura vide S.O. No. 683 (E) dated 20.7.1995; and
- (j) Maharashtra vide S.O. No. 514 (E) dated 23.7.1997.